

LR
M
17/11/18

प्रकरण सं 28/18 दि. 14.5.18

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(सा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम किल्मारीपूर की जमाबन्दी

संवत् 2033-76 खाता संख्या 142 में -

सर,
निवेदन है कि मैं पाखराठ व विरधाराठ को कुतुब
गियासी किल्मारीपूर की निवेदन इस प्रकार है कि मेरी
जातेदारी मूमी वाक किल्मारीपूर के ख.स. 486/137, 74/137 रकबा
क्रमशः 22.15, 4.14 बीघा के पाखराठ व विरधाराठ नाम इस ही जमाब.
मेरी राशानुकाई, परिचय पत्र मे पाखराठ व विरधाराठ नाम ही क्रमः क्रम
से निवेदन है कि मेरा नाम गाँव किल्मारीपूर के ख.स. 486/137, 74/137
रकबा क्रमशः 22.15 बीघा, 4.14 बीघा के पाखराठ व विरधाराठ के लिये कर
व पाखराठ व विरधाराठ के नाम इस करवाने की कृपा कराने

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक



धर्मशराम

धर्मशराम

67

सदर खण्ड - जमाबन्दी के अन्तर्गत इसी तहसील (किल्मारीपूर) में
किल्मारीपूर के ख.स. 736/137, 74/137 क्रमशः क्रमशः
का नाम पाखराठ व विरधाराठ नाम ही पाखराठ व विरधाराठ नाम ही
काईस मरदान काईस व पाखराठ इत्यादि

जिनाराग धर्मशराम
[महोदय]

जुकाण-सं 28/18 दि. 14.5.18

सर, निम्न इस प्रकार है कि पाखराठ के विद्याराम जालि कुहार गियासी कितनारीया नाम राशन कार्ड, परिचय पत्र में पाखराठ के विद्याराम नाम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड गांव के ख.सं. 486/177, 751/177 रकबा क्रमांक: 22.15 बीघा, व 4.19 बीघा में बाबूराम के स्थापन पर पाखराठ के विद्याराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाते की जाते की जाती है।

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

10/5/18
प. कितनारीया
10/5/18

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

डा. प्रभाती हल्का कितनारीया व मरुत शुकिया की रिपोर्ट के अनुसार पाखराठ का गठ होना कितनारीया के ख.सं. 486/177, 751/177 के आधार पर ही हो सकेगा कि न. डा. उ. म. क. 21 श. क. डी. व म. ग. डा. डी. पाखराठ कती किने जाने की अनुमति की जाती है।

आदेश

तहसीलदार सिद्धा, ICR सेक्स श्रुतिगा, पटवारी हल्का कितनारीया क्षेत्रांतर्गत रिपोर्ट एवं धारों द्वारा पेश जायेगा पत्र के साथ 'दस्तावेजों' के आधार पर धारणा पर लीकार का प्रमाण का नाम 'बाबूराम पुत्र विद्याराम' के स्थान पर इसका शुरु नाम 'पाखूराम पुत्र विद्याराम' शुरु करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में कमल करामत करने का आदेश दिया जाता है। भ्रावली फंसल श्रुमार होकर काखिल वापर हो।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहान

